न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

(3)

मुकदमा नम्बर 146/2020

दायर दिनांक–31–08–2020

झाबरराम पुत्र जगू उम्र 70 वर्ष जाति अहीर निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

– वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र कालूराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2. मंगलचन्द पुत्र कालूराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3. हरिराम पुत्र कालूराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4. द्वारका पुत्र कालूराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5. प्रभाती पत्नी कालूराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6. चांवली देवी पत्नी औंकारमल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7. राजेन्द्र पुत्र औंकारमल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8. मनोहरी पुत्री औंकारमल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9. संतोष पुत्री औंकारमल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
10. जगदीश पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
11. नौंरगलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12. रामचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13. पतासी पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
14. सुगना पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
15. मदनलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
16. मधुबाला पुत्री शंकरलाल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
17. मनोहरी पुत्री शंकरलाल जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
18. नथूराम पुत्र दुरजाराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
19. सीताराम पुत्र दुरजाराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
20. विक्की पुत्र धुडाराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल रेल्वे फाटक बलवन्तपुरा तह नवलगढ़।
21. राजेश कुमार पुत्र धुडाराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल रेल्वे फाटक बलवन्तपुरा तह नवलगढ़।
22. योगेश कुमार पुत्र धुडाराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल रेल्वे फाटक बलवन्तपुरा तह नवलगढ़।
23. बबली पुत्री धुडाराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल रेल्वे फाटक बलवन्तपुरा तह नवलगढ़।
24. सावित्रि देवी पत्नी धुडाराम जाति माली निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। हाल रेल्वे फाटक बलवन्तपुरा तह नवलगढ़।
25. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
26. बैक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
27. बैक ऑफ बडौदा शाखा नवलगढ।
28. बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैक शाखा झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
29. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:32:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वकील वादी : — श्री महेश कुमार
वकील प्रति. नं. :— एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 28.02.2022

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 13 बीघा 17 विश्वा ग्राम बसावा की सरहद में स्थित है जिसके वर्तमान में ने खसरा नम्बर 249 व 250 बने। खसरा नम्बर 249 उत्तरी दिशा व 250 दक्षिण दिशा में स्थित है। वादी के पिता स्वर्गीय जगूराम पुत्र खेताराम ने भूमि खसरा नम्बर पुराने 348 रकबा 13 बीघा 17 विश्वा भूमि में से 6 बीघा 16 विश्वा भूमि उत्तरी दिशा में दिनांक 31.01.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा प्राप्त किया विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी के पिता जगू पुत्र खेता के नाम दर्ज हुआ उक्त विक्रय पत्र में चतुर्थ सीमा दर्शित की गई है जो निम्न प्रकार से है :— पूर्व में जमीन दुरजा पुत्र सुरजा माली की, पश्चिम में जमीन भंवर सिंह पुत्र असमान सिंह राजपूत की, उत्तर में जमीन सुरजा पुत्र रूडा अहीर निवासी बसावा की, दक्षिण में सुरजा पुत्र भौपा माली की जमीन है उक्त चतुर्सीमा के आधार पर यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि वादी के पिता जगूराम ने भूमि खसरा नम्बर 348 मे से 6 बीघा 16 विश्वा भूमि उत्तरी दिशा की तरफ ही क्रय की थी लेकिन दौराने सेटलमेन्ट जब उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 249 रकबा 1.84, 250 रकबा 1.60 कायम किये गये उस दौरान उत्तरी दिशा के खसरा नम्बर 249 जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया ओर खसरा नम्बर 250 वादी के नाम दर्ज हो गया जबकि कानूनन विक्रय पत्र एवं पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी के पिता जगूराम ने उत्तरी दिशा में जमीन क्रय की थी जिसमें वादी के पिता के नाम खसरा नम्बर 249 दर्ज होना चाहिए था ओर प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 250 दर्ज होना चाहिए था लेकिन सैटलमेन्ट करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा भूलवश उपरोक्त खसरा नम्बर विपरीत दर्ज हो गये जबकि वादी के पिता जगुराम एवं वादी का कब्जा एवं काश्त उत्तरी दिशा में भूमि खसरा नम्बर 249 पर है।

वादी के पिता जगूराम व माता का स्वर्गवास हो चुका है। जिसे भूमि की खातेदारी अकेले वादी के नाम दर्ज हुई जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। लेकिन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड सैटलमेन्ट के दौरान विपरीत दर्ज हो गया अर्थात खसरा नम्बर 249 जो वादी के नाम दर्ज होना चाहिए था वह प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो गया तथा खसरा नम्बर 250 जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था वह वादी के नाम दर्ज हो गया। उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने हेतु वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी के पिता जगूराम ने भूमि खसरा नम्बर 348 में से 6 बीघा 16 विश्वा उत्तरी दिशा की भूमि क्रय की थी जो कि विक्रय पत्र दिनांक 31.01.1968 चतुर्थ सीमा में स्पष्ट रूप से दर्ज है लेकिन सैटलमेन्ट दौराने जब खसरा नम्बर 249, 250 कायम किये गये उक्त दौरान वादी के पिता का नाम दक्षिण दिशा की भूमि खसरा नम्बर 250 खातेदारी दर्ज कर दी गई जो कि विक्रय पत्र कब्जे काश्त के अनुसार उत्तरी दिशा भूमि खसरा नम्बर 249 दर्ज की जानी चाहिए थी उक्त राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पडता है लेकिन भविष्य में कब्जे व काश्त को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम भूमि खसरा नम्बर 250 की बजाय 249 तथा प्रतिवादीगण के नाम 249 की बजाय 250 दर्ज किये जाने की घोषणा की जावें। जिसके लिए वादी वाद पत्र घोषणार्थ का पेश कर रहा है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 249 के गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण भूमि को विक्रय कर हस्तान्तरण क[illegible] है जिसको उन्हे कोई अधिकारी प्राप्त नहीं है। अगर प्रतिवादीगण अपनी इस नाजायज हरक[illegible] हो गये तो वादी को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से अ[illegible] बाजी में फसंना होगा इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 24 को [illegible] भूमि खसरा नम्बर 249 के गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण भूमि को विक्रय क[illegible] हस्तान्तरण नहीं करें वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नही करें वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़

उक्त खसरा नम्बर की राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जाकर वादी के नाम खसरा नम्बर 250 बजाय 249 तथा प्रतिवादीगण के नाम 249 की बजाय 250 दुरूस्त की जाकर सही राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नम्बर 25 से 28 बैक है जिसके यहां पक्षकारो ने ऋण प्राप्त कर रखा है तथा प्रतिवादी नम्बर 29 लेण्ड होल्डर है जो आवश्यक पक्षकार होने से उसे वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है ताकि वाद में कोई नुक्श नहीं रहें।

बिनाय दावा बहक खिलाफ प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 24 को ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 249 को गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि को विक्रय कर स्थानान्तरण करना चाहते है तथा जमीन को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने के रोज तथा राजस्व रिकॉर्ड नकल दिनांक 30.07.2020 को प्राप्त करने के रोज ग्राम बसावा में वाद कारण पैदा हुआ जिससे अदालत हाजा को हक समायत हासिल है। उक्त वाद में वादग्रस्त सम्पति श्रीमान् न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है तथा पक्षकारान भी न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है तथा पक्षकारान भी न्यायालय के क्षैत्राधिकार में निवास करते है जिससे सुनने का श्रीमान् जी को पूर्ण क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पत्र 4/– पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 249 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज किये जाने एवं भूमि खसरा नम्बर 250 की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 24 के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावें।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में दुरूस्ती की जाकर वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 250 के बजाय 249 तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी 249 के बजाय 250 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर मौके से रिकॉर्ड मंगवाया जाकर उसी के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाकर रिकॉर्ड सही दर्ज किया जावें।

वादी पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 249 के गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 24 भूमि को विक्रय कर हस्तान्तरित नही करें तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 24 को पाबन्द फरमाया जावें। हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण को दिलवाया जावें।

वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। 1 लगायत 29 की सम्यक रूप से तलबी होने के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में होने पर तनकीयात कायम नही की गई। शहादत वादी में वादी श्री झाबरमल पुत्र जग्गू जाति अहिर निवासी बसावा उपस्थित हो अपने शपथ पत्र पेश किये जो पीडब्ल्यू–1 है तथा गवाह श्री बीरबल पुत्र कालूराम जाति माली निवासी बसावा तहसील नवलगढ उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये जो पीडब्ल्यू–2 है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 लगायत अंतिम प्रदर्शित कराये।

शहादत पेश होने बहस वकील वादी सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ से प्रशासन गांवो के संग अभियान में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम बसावा के नक्शा लट्ठे में दर्ज खसरा नम्बर 249 व 250 के अनुसार खसरा नम्बर 249 मे खसरा नम्बर 250 के खातेदार है तथा खसरा नम्बर 250 में खसरा नम्बर 249 के खातेदार काबिज है।

भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 13 बीघा 17 विश्वा ग्राम बसावा की सरहद में स्थित है जिसके वर्तमान में ने खसरा नम्बर 249 व 250 बने जो पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित होता है। खसरा नम्बर 249 उत्तरी दिशा व 250 दक्षिण दिशा में स्थित है जो नक्शा शीट से प्रमाणित है। वादी के पिता स्वर्गीय जगूराम पुत्र खेताराम ने भूमि खसरा नम्बर पुराने 348 रकबा 13 बीघा 17 विश्वा भूमि में से 6 बीघा 16 विश्वा भूमि उत्तरी दिशा में दि[illegible].1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा प्राप्त किया विक्रय पत्र के आधार [illegible] वादी के पिता जगू पुत्र खेता के नाम दर्ज हुआ उक्त विक्रय पत्र में चतुर्सीमा दर्शित [illegible] निम्न प्रकार से है :– पूर्व में जमीन दुरजा पुत्र सुरजा माली की, पश्चिम में जमीन भंवर सिंह पुत्र असमान सिंह राजपूत की उत्तर में जमीन सुरजा पुत्र रूडा अहीर निवासी बसावा की, दक्षिण में [illegible]जा पुत्र भौपा माली की जमीन है उक्त चतुर्सीमा के आधार पर यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि वादी के पिता जगूराम ने भूमि खसरा नम्बर 348 मे से 6 बीघा 16 विश्वा भूमि उत्तरी दिशा की तरफ ही क्रय की थी लेकिन दौराने सेटलमेन्ट जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

त भूमि के नये खसरा नम्बर 249 रकबा 1.84, 250 रकबा 1.60 कायम किये गये उस दौरान उत्तरी शा के खसरा नम्बर 249 जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया ओर खसरा नम्बर 250 वादी के ाम दर्ज हो गया जबकि कानूनन विक्रय पत्र एवं पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी के पिता जगूराम ने उत्तरी दिशा में जमीन क्रय की थी जिसमें वादी के पिता के नाम खसरा नम्बर 249 दर्ज होना चाहिए था ओर प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 250 दर्ज होना चाहिए था लेकिन सैटलमेन्ट करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा भूलवंश उपरोक्त खसरा नम्बर विपरीत दर्ज हो गये जबकि वादी के पिता जगुराम एवं वादी का कब्जा एवं काश्त उत्तरी दिशा में भूमि खसरा नम्बर 249 पर है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का तथा उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 13 बीघा 17 विश्वा ग्राम बसावा की सरहद में स्थित है जिसके वर्तमान में ने खसरा नम्बर 249 व 250 बने जो मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित होता है। खसरा नम्बर 249 उत्तरी दिशा व 250 दक्षिण दिशा में स्थित है जो नक्शा शीट से प्रमाणित है। वादी के पिता स्वर्गीय जगूराम पुत्र खेताराम ने भूमि खसरा नम्बर पुराने 348 रकबा 13 बीघा 17 विश्वा भूमि में से 6 बीघा 16 विश्वा भूमि उत्तरी दिशा में दिनांक 31.01.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा प्राप्त किया, विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी के पिता जगू पुत्र खेता के नाम दर्ज हुआ उक्त विक्रय पत्र में चतुर्सीमा दर्शित अुनसार पूर्व में जमीन दुरजा पुत्र सुरजा माली की, पश्चिम में जमीन भंवर सिंह पुत्र असमान सिंह राजपूत की, उत्तर में जमीन सुरजा पुत्र रूडा अहीर निवासी बसावा की, दक्षिण में सुरजा पुत्र भौपा माली की जमीन है जो विक्रय पत्र दिनांक 31.01.1968 से प्रमाणित है। उक्त चतुर्थ सीमा के आधार पर यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि वादी के पिता जगूराम ने भूमि खसरा नम्बर 348 मे से 6 बीघा 16 विश्वा भूमि उत्तरी दिशा की तरफ ही क्रय की थी लेकिन दौराने सेटलमेन्ट जब उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 249 रकबा 1.84, 250 रकबा 1.60 कायम किये गये उस दौरान उत्तरी दिशा के खसरा नम्बर 249 जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ और खसरा नम्बर 250 वादी के नाम दर्ज हो हुआ जबकि विक्रय पत्र एवं पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी के पिता जगूराम ने उत्तरी दिशा में जमीन क्रय की थी परन्तु सैटलमेन्ट में उपरोक्त खसरा नम्बर विपरीत दर्ज हुये है। जिसमें वादी के पिता के नाम खसरा नम्बर 249 ओर प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 250 दर्ज होना न्यायोचित है। वादी वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 250 के बजाय 249 तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी 249 के बजाय 250 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा खसरा नम्बर 249 में वादी को तथा खसरा नम्बर 250 में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 24 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 146/2020 **(झाबरराम बनाम बीरबलराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.02.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बसावा के भूमि खसरा नम्बर 250 के बजाय 249 तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी 249 के बजाय 250 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा खसरा नम्बर 249 में वादी को तथा खसरा नम्बर 250 में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 24 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.02.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested